



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02112020-222892

CG-DL-W-02112020-222892

प्राधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2020, शनिवार/कार्तिक 3— कार्तिक 9, 1942
No. 26] NEW DELHI, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2020, SATURDAY/KARTIKA 3—KARTIKA 9, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2020

आ. अ. 112 .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग झारखण्ड सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री राहुल कुमार पुरवार, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री के. रविकुमार, आई.ए.एस. (झा. 2004) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए झारखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री के. रवि कुमार, आई.ए.एस., झारखण्ड सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री के. रवि कुमार, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड के रूप में कार्य करते हुए झारखण्ड सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/JH/2020-P.Admn.]

आदेश से,

बी. सी. पात्रा, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 17th October, 2020

O.N. 112 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Jharkhand hereby designates Shri K. Ravi Kumar, IAS, (JH: 2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Jharkhand with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Rahul Kumar Purwar, IAS.

2. Shri K. Ravi Kumar, IAS, cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Jharkhand, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri K. Ravi Kumar, IAS while functioning as the Chief Electoral Officer, Jharkhand shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Jharkhand except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/JH/2020-P.Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.